BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 24 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुखबीर पुत्र नेत्रपाल निवासी मुंडाखेडा थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में अपनी 04 वर्ष की पुत्री को जमीन पर पटक देना जिससे उसकी मृत्यु हो गयी इस सम्बन्ध में दिनांक 28.09.2022 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं – 951/22 धारा- 304 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 17.12.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.09.2024 को न्यायाधीश श्री विजयपाल सिंह (मा0 न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुखबीर को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव मलिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर